‘अपात्र को ना-पात्र को हाँ’अभियान

चर्चा में क्यों?

17 मई, 2022 को उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने वर्चुअल माध्यम से खाद्य विभाग की समीक्षा कर बताया कि खाद्य विभाग की ‘अपात्र को ना-पात्र का हाँ’अभियान के तहत अब तक 3167 लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से फर्ज़ी एवं अपात्र राशन कार्डधारकों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान के तहत सबसे अधिक 1190 राशन कार्ड ऊधमसिंह नगर ज़िले से तथा सबसे कम रुद्रप्रयाग ज़िले से राशन कार्ड सरेंडर किये गए है।
- खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (एनएफएसए) के अंतर्गत जिस गाँव से जितने अपात्र हटेंगे, उतनी ही संख्या में वहाँ पात्रों के नाम जोड़े जाएंगे।
- उन्होंने प्रत्येक राशन की दुकान के बाहर लाभार्थियों के नाम की लिस्ट लगाने के साथ ही वहाँ सभी योजनाओं के मानक, हेल्पलाइन नंबर-1967 लिखने के निर्देश दिये हैं।
- अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिये वे लोग पात्र नहीं हैं जिनकी मासिक आय 15 हज़ार रुपए से अधिक है। ये लोग 31 मई तक स्वयं अपने कार्ड सरेंडर करा सकते हैं।
- इसके बाद 1 जून से विभागीय स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाएगा जिसमें अपात्र पाए जाने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करा उससे रिकवरी की जाएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/no-to-ineligible-yes-to-eligible-campaign